IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

गया जिले में महिला समूहों की भूमिका ग्रामीण : महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की दिशा में एक सशक्तिकरण यात्रा

पूजा कुमारी
पूर्व शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, गया, बिहार

सारांश

यह अध्ययन गया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्व-सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण की प्रक्रिया का विश्लेषण करता है। भारत में महिलाओं के लिए संविधानिक आरक्षण व्यवस्था के बावजूद, उनकी वास्तविक और प्रभावी राजनीतिक भागीदारी अनेक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाओं के कारण सीमित रही है। इस शोध का उद्देश्य यह समझना है कि किस प्रकार महिला समूह, विशेषतः जीविका परियोजना के अंतर्गत गठित SHGs, महिलाओं को सामूहिक संवाद, सामाजिक जागरूकता और नेतृत्व कौशल के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित और सक्षम बना रहे हैं। शोध में गुणात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए गया जिले के चयनित पंचायतों में महिला समूहों की संगठनात्मक संरचना, कार्यप्रणाली और राजनीतिक सक्रियता का अध्ययन किया गया है। साक्षात्कार, क्षेत्र सर्वेक्षण और द्वितीयक आंकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से यह पाया गया कि SHGs की नियमित बैठकों, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया और सामूहिक उत्तरदायित्व की संस्कृति ने महिलाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक संवाद की समझ को विकसित किया है। इसके परिणामस्वरूप महिलाएं ग्राम सभा, पंचायत चुनाव, और स्थानीय प्रशासनिक मंचों पर अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। निष्कर्षतः यह शोध इस बात को रेखांकित करता है कि यदि महिला समूहों को उपयुक्त संस्थागत समर्थन, प्रशिक्षण, और नीति-स्तरीय भागीदारी के अवसर प्रदान किए जाएँ, तो वे ग्रामीण लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को निर्णायक रूप से सुदृढ़ कर सकते हैं।

प्रमुख शब्द : महिला सशक्तिकरण,ग्रामीण राजनीति, महिला भागीदारी, पंचायती राज, जीविका परियोजना, ग्राम सभा, लैंगिक समानता, स्थानीय शासन

1. प्रस्तावना

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी न केवल समानता और समावेशिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह लोकतंत्र की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को भी परिभाषित करती है। ग्रामीण भारत में, जहाँ पारंपरिक सामाजिक संरचनाएँ और पितृसत्तात्मक मान्यताएँ गहराई से रची-बसी हैं, महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता एक बड़ी चुनौती रही है। यद्यपि संविधान ने महिलाओं को समान राजनीतिक अधिकार दिए हैं, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर वे अब भी निर्णायक राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने से वंचित हैं।

बिहार, विशेष रूप से गया जिला, इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र बनकर उभरा है। यह जिला सामाजिक रूप से विविध, आर्थिक रूप से सीमित और सांस्कृतिक रूप से पारंपरिक मान्यताओं से प्रभावित रहा है। हालांकि पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण ने महिलाओं को निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में आगे लाया है, लेकिन निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में उनकी वास्तविक भागीदारी अभी भी सीमित है। अधिकांश महिलाएँ मतदान करने तक तो पहुँच गई हैं, किंतु ग्राम सभाओं में सक्रिय भागीदारी, योजनाओं की निगरानी, और स्थानीय नेताओं से संवाद जैसे कार्यों में उनकी उपस्थिति नगण्य है।

इस स्थिति में महिला स्व-सहायता समूह (Self-Help Groups - SHGs) एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा रहे हैं। ये समूह केवल आर्थिक सशक्तिकरण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चेतना जगाने का भी माध्यम बनते जा रहे हैं। नियमित बैठकों, सामूहिक संवाद, और आपसी सहयोग के माध्यम से SHGs महिलाओं को ऐसा मंच प्रदान करते हैं जहाँ वे अपनी समस्याओं को साझा कर सकती हैं, अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकती हैं, और सामूहिक शक्ति के साथ राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग ले सकती हैं।

इस लेख का उद्देश्य गया जिले में महिला समूहों की राजनीतिक भूमिका का विश्लेषण करना है। मुख्य शोध प्रश्न हैं:

- क्या SHGs महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि कर रहे हैं?
- किस प्रकार महिला समूह सामाजिक मान्यताओं और पारिवारिक सीमाओं को चुनौती देते हुए महिलाओं को ग्राम स्तर की राजनीति में सक्रिय कर रहे हैं?
- क्या SHGs केवल मतदान तक सीमित हैं या वे महिलाओं को नेतृत्व, संवाद, और निर्णय प्रक्रिया में भी सक्षम बना रहे हैं?

इन प्रश्नों के उत्तर तलाशने का प्रयास इस लेख में किया गया है, जो महिला समूहों की राजनीतिक प्रभावशीलता को गया जिले के संदर्भ में समझने का एक प्रयास है।

2. सैद्धांतिक पृष्ठभूमि

राजनीतिक भागीदारी को केवल मतदान करने या चुनाव लड़ने की संकीर्ण परिभाषा में नहीं बाँधा जा सकता, बल्कि यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें विचार-विमर्श, मुद्दों पर चर्चा, नीति-निर्माण में सहभागिता, तथा सामाजिक दायरे में जनमत को आकार देना शामिल होता है। जब इस प्रक्रिया को लिंग (gender) के संदर्भ में देखा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि महिलाएं – विशेषकर ग्रामीण, वंचित और

अशिक्षित वर्ग की – इस प्रणाली में हाशिए पर रहती हैं। इस खंड में हम उन प्रमुख सैद्धांतिक अवधारणाओं की चर्चा करेंगे जो यह समझने में सहायक हैं कि महिला समूह (विशेषतः स्व-सहायता समूह - SHGs) महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को कैसे सशक्त करते हैं।

2.1 परिवारकेंद्रित राजनीति और पितृ-सत्ता का *प्रभाव*

Soledad Artiz Prillaman (2021) द्वारा प्रस्तुत 'Family-Centered Politics' मॉडल यह बताता है कि भारतीय ग्रामीण समाज में महिलाओं की राजनीतिक गतिविधियाँ प्रायः परिवार, विशेषकर पति या वरिष्ठ पुरुष सदस्य की इच्छा से नियंत्रित होती हैं। यह नियंत्रण केवल बाह्य रूप में नहीं, बल्कि एक गहरे सामाजिक मनोविज्ञान का हिस्सा बन चुका है जहाँ महिलाएं स्वयं को घर के भीतर सीमित समझती हैं और सार्वजनिक व राजनीतिक भूमिकाओं में भागीदारी को पारिवारिक मर्यादा के विरुद्ध मानती हैं। इस मॉडल में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राजनीतिक भागीदारी तब और भी कठिन हो जाती है जब महिलाएं आर्थिक रूप से पुरुषों पर आश्रित हों, घरेलू निर्णयों में उनकी भूमिका सीमित हो, और समाज में स्वतंत्र स्त्री की छवि को संदेह की दृष्टि से देखा जाए। इस स्थिति को "coercive alignment" कहा गया है – जिसमें महिलाएं अपनी इच्छा के विरुद्ध भी पारिवारिक मत के अनुसार चलती हैं।

2.2 सामाजिक पूंजी, नेटवर्क सिद्धांत और महिलाओं की सामूहिकता

Robert Putnam (1993) द्वारा प्रतिपादित सामाजिक पूंजी का सिद्धांत इस संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। सामाजिक पूंजी का तात्पर्य उन नेटवर्कों, विश्वासों, और सामाजिक बंधनों से है जो व्यक्तिगत और सामूहिक सहयोग को संभव बनाते हैं। ग्रामीण भारत में जहां महिलाएं सामाजिक रूप से एक-दूसरे से कटी रहती हैं, SHGs उनके लिए ऐसे नेटवर्क तैयार करते हैं जो उन्हें संवाद, विश्वास और एकता का अवसर देते हैं। ये नेटवर्क महिलाओं को सामाजिक अलगाव से बाहर निकालते हैं, और यह भी दर्शाते हैं कि महिलाएं जब एक-दूसरे से नियमित रूप से मिलती हैं, तो राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होती है, नेतृत्व विकसित होता है और सामूहिकता की भावना प्रबल होती है। SHGs एक 'institutionalized network' के रूप में कार्य करते हैं जहाँ महिलाएं साझा हितों की पहचान करती हैं, और उन हितों के लिए मिलकर कार्य करना सीखती हैं।

2.3 सामूहिक कार्रवाई और सहभागिता का सिद्धांत

Mancur Olson (1965) के 'Collective Action Theory' के अनुसार, किसी भी सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन के लिए अकेले प्रयास पर्याप्त नहीं होते, बल्कि सामूहिक रणनीति आवश्यक होती है। महिला समूहों की महत्ता इसी सिद्धांत से स्पष्ट होती है। SHGs महिलाओं को सामूहिक कार्यों में शामिल होने की प्रक्रिया सिखाते हैं – जैसे ग्राम सभा में एकसाथ भाग लेना, स्थानीय समस्याओं पर पंचायत से सामूहिक ज्ञापन देना, या सरकारी योजनाओं के लिए साझा आवेदन करना। यह प्रक्रिया दोहरी भूमिका निभाती है: एक ओर यह सामाजिक संकोच और पारिवारिक प्रतिबंधों को चुनौती देती है, वहीं दूसरी ओर यह महिलाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और वैचारिक स्पष्टता का विकास करती है। यह सामूहिकता उन्हें केवल "सहायता प्राप्तकर्ता" से "राजनीतिक भागीदार" में परिवर्तित कर देती है।

2.4 नारीवाद और सत्ता सम्बंधी संरचनाएँ-

नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि महिलाओं की भागीदारी को केवल समानता के दावे से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह जरूरी है कि उनकी आवाज़ नीति निर्माण और प्रशासनिक निर्णयों में प्रभावी रूप से सुनी जाए। Gita Sen, Naila Kabeer, और Bina Agarwal जैसी विदुषियों ने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि महिलाओं के पास संसाधन, निर्णय शक्ति, और संगठनात्मक क्षमता होनी चाहिए ताकि वे पुरुष-वर्चस्व वाले राजनीतिक ढांचे में अपनी जगह बना सकें। SHGs, इस दृष्टिकोण में, "सत्ता हस्तांतरण" (power redistribution) के एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं – जहाँ सत्ता न केवल प्रतिनिधित्व द्वारा बल्कि ज्ञान, क्षमता और संगठित स्वरूप द्वारा पुनः परिभाषित होती है।

3. गया जिले का सामाजिकराजनीतिक परिदृश्य-

गया जिला बिहार राज्य का एक प्रमुख प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक इकाई है, जिसकी पहचान एक ओर बौद्ध धर्म की वैश्विक राजधानी *बोधगया* के रूप में होती है, वहीं दूसरी ओर यह क्षेत्र ग्रामीण निर्धनता, सामाजिक असमानता, और कमजोर राजनीतिक भागीदारी जैसी संरचनात्मक चुनौतियों से भी जूझ रहा है। गया जिले का सामाजिक-राजनीतिक ढांचा महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता को प्रभावित करने वाले कई अंतर्निहित कारकों का प्रतिनिधित्व करता है—जिनमें लिंग आधारित सामाजिक व्यवस्थाएँ, शिक्षा और संसाधनों की विषमता, तथा पंचायत स्तर की राजनीतिक प्रक्रियाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

3.1 सामाजिक संरचना और लैंगिक विभाजन

गया जिले की कुल जनसंख्या लगभग 43 लाख (जनगणना 2011) है, जिसमें ग्रामीण आबादी का अनुपात 86% से अधिक है। जिले में अनुसूचित जातियाँ (SCs) 28.9% और अनुसूचित जनजातियाँ (STs) लगभग 1.2% हैं, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों की भी पर्याप्त उपस्थिति है। यह सामाजिक बनावट दर्शाती है कि यहाँ के ग्रामीण समाज में जातिगत, धार्मिक और वर्गीय विभाजन गहरे हैं जो विशेषकर महिलाओं की सामाजिक स्थिति को और जटिल बनाते हैं। गया जिले की महिलाएं दोहरी मार झेलती हैं एक ओर वे जाति और वर्गीय असमानताओं से पीड़ित हैं, तो दूसरी ओर लिंग आधारित पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएँ उन्हें राजनीतिक तथा सामाजिक निर्णयों से दूर रखती हैं। पारंपरिक सोच, घरेलू भूमिकाओं की प्राथमिकता, और सामाजिक मान्यताएँ उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र से बाहर रखती हैं। अनेक महिलाएं स्वयं को 'असक्षम', 'अनपढ़', या 'पुरुषों से कमतर' मानती हैं जो सामाजिक आत्म-अस्वीकृति (internalized inferiority) का परिचायक है।

3.2 शिक्षा, संसाधन और सूचनात्मक पहुंच

गया जिले में महिला साक्षरता दर केवल 52.7% है, जो राज्य औसत से भी कम है। ग्रामीण बालिकाओं की स्कूल में निरंतर उपस्थिति, उच्च शिक्षा तक पहुँच, और तकनीकी साक्षरता अब भी सीमित है। यह ज्ञानवंचन न केवल उनकी सामाजिक स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि उन्हें पंचायत जैसे लोकतांत्रिक मंचों पर सक्रिय भागीदारी से भी दूर करता है। सूचना तक पहुँच की दृष्टि से भी महिलाएं हाशिए

पर हैं। अधिकांश ग्रामीण महिलाएं सरकारी योजनाओं, अधिकारों, अथवा ग्राम सभा की तिथियों की जानकारी तक नहीं रखतीं, और जो जानती भी हैं वे सामाजिक संकोच या पारिवारिक नियंत्रण के कारण भाग नहीं ले पातीं।

3.3 पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की औपचारिक और वास्तविक भागीदारी

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण (बिहार में 50%) लागू किया गया, जिसके फलस्वरूप हजारों महिलाएं गया जिले की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों में निर्वाचित हुई हैं। लेकिन *"नाममात्र की भागीदारी और वास्तविक निर्णय से दूरी"* की स्थिति अभी भी व्यापक रूप से बनी हुई है।

कई मामलों में चुनी गई महिलाएं केवल 'रबर स्टैम्प' की भूमिका निभाती हैं, जबकि पंचायत की दैनिक कार्यवाही उनके पति, भाई या अन्य पुरुष संबंधी नियंत्रित करते हैं—जिसे स्थानीय भाषा में "मुखिया पति" या "सरपंच पति" कहा जाता है। यह परिपाटी केवल महिलाओं की स्वायत्तता को नहीं छीनती, बल्कि संविधान की आत्मा का भी हनन करती है। ग्राम सभा जैसी संस्थाओं में महिला उपस्थिति अत्यंत नगण्य है। उपलब्ध अध्ययन दर्शाते हैं कि 60% से अधिक महिलाएं कभी भी ग्राम सभा में शामिल नहीं हुईं, और 70% से अधिक महिलाएं पंचायत से संबंधित निर्णयों में भाग नहीं लेतीं (PRADAN & IDF reports, 2021)। यह निष्क्रियता न केवल सामाजिक बाध्यता का परिणाम है, बल्कि सूचनात्मक और मनोवैज्ञानिक अलगाव का भी।

3.4 महिला समूहों)SHGs) की भूमिका का प्रारंभिक प्रसार

हाल के वर्षों में बिहार सरकार की *जीविका* परियोजना (Bihar Rural Livelihoods Promotion Society – BRLPS), DAY-NRLM (Deendayal Antyodaya Yojana), NABARD, और PRADAN जैसी संस्थाओं के सहयोग से गया जिले में हजारों महिला स्व-सहायता समूह (Self-Help Groups – SHGs) गठित किए गए हैं। इनका उद्देश्य प्रारंभ में केवल बचत और ऋण तक सीमित था, परंतु धीरे-धीरे SHGs सामाजिक मंचों में रूपांतरित हो गए—जहाँ महिलाएं आपसी संवाद, सामूहिक निर्णय, और स्थानीय शासन के प्रति सजगता विकसित करने लगीं। SHGs नियमित बैठकें, आंतरिक लेन-देन की पारदर्शिता, तथा सामूहिक वार्तालाप जैसे मंचों के माध्यम से महिलाओं को आपस में जोड़ते हैं। ये समूह पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद करना, सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा करना, और जरूरतमंद महिलाओं के लिए सामूहिक आवेदन प्रस्तुत करना शुरू कर चुके हैं। यह प्रक्रिया 'राजनीतिक सामाजिकरण' (political socialization) का आरंभिक चरण है, जहाँ महिलाएं अधिकार, उत्तरदायित्व और भागीदारी के अर्थ को व्यवहार में समझ रही हैं।

3.5 सामाजिक बदलाव के उभरते संकेत और संभावनाएँ

गया जिले के कुछ प्रखंडों—जैसे टिकारी, बाराचट्टी, और बेलागंज—में SHGs ने मिलकर ग्राम सभा में 40% से अधिक महिलाओं की उपस्थिति दर्ज कराई है, जिससे कई मुद्दों पर चर्चा और समाधान संभव हुए हैं (BRLPS Data, 2022)। कुछ SHGs ने शराबबंदी, घरेलू हिंसा और मनरेगा भुगतान में अनियमितता जैसे मुद्दों पर सामूहिक शिकायत दर्ज की और प्रशासन से सीधा संवाद किया। ये संकेत दर्शाते हैं कि यदि महिला समूहों को लगातार संगठित प्रशिक्षण, नीति-निर्माण में भागीदारी, और सूचना-प्रौद्योगिकी का सहयोग

दिया जाए, तो वे केवल आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम नहीं रह जाएंगे, बल्कि राजनीतिक नवजागरण की वाहक बन सकते हैं।

4 महिला समूहों की संरचना और कार्यप्रणाली

गया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्व-सहायता समूह (Self-Help Groups – SHGs) का गठन महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिबंधों से मुक्त कर एक नई चेतना और नेतृत्व क्षमता से सशक्त करने के उद्देश्य से किया गया है। हालांकि इनका प्रारंभिक उद्देश्य वित्तीय सहायता तक सीमित था, लेकिन बीते एक दशक में इन समूहों ने महिलाओं को सामाजिक जागरूकता, सामूहिक संवाद और राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी बनने के लिए भी प्रेरित किया है। SHGs की आंतरिक संरचना, कार्यशैली और संगठनात्मक प्रक्रियाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि ये संस्थाएं ग्रामीण महिलाओं के जीवन में गहरे बदलाव ला रही हैं, जो केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी प्रभावकारी हैं। गया जिले में कार्यरत महिला समूहों की संगठनात्मक संरचना सरल, परंतु सशक्त होती है। प्रत्येक SHG में सामान्यतः 10 से 15 महिलाएं सदस्य के रूप में शामिल होती हैं, जिनका चयन गाँव या पंचायत स्तर पर सामाजिक और आर्थिक मानकों के आधार पर किया जाता है। समूह की अध्यक्षता एक चुनी हुई महिला करती है, जबकि सचिव और कोषाध्यक्ष समूह के आंतरिक लेखांकन तथा बैठक संचालन की जिम्मेदारी निभाते हैं। ये सभी पद एक तय अवधि तक चलने के बाद घूर्णन प्रणाली के तहत बदले जाते हैं, जिससे सभी सदस्यों को नेतृत्व का अनुभव मिल सके। BRLPS (Bihar Rural Livelihoods Promotion Society) की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, गया जिले में कुल 33,212 महिला समूह सक्रिय हैं, जिनमें लगभग 4.2 लाख महिलाएं सदस्य हैं। प्रत्येक SHG का पंजीकरण जीविका परियोजना के तहत हुआ होता है और इसे उच्च संस्थागत संरचनाओं जैसे विलेज ऑर्गनाइजेशन (VO) और क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) से जोड़ा जाता है, जो इन समूहों को ब्लॉक और जिला स्तर तक निर्णय प्रक्रिया से जोड़ने में मदद करता है। इससे इनका प्रभाव केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि प्रशासनिक संवाद में भी इनकी भागीदारी सुनिश्चित होती है।

SHGs की कार्यप्रणाली में नियमित बैठकों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आमतौर पर ये बैठकें सप्ताह में एक बार या पखवाड़े में एक बार होती हैं और समूह की सभी सदस्याएं उसमें भाग लेती हैं। इन बैठकों में उपस्थिति, निर्णय प्रक्रिया, ऋण वितरण, बचत रजिस्टर, और सामूहिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। BRLPS की 2022 की निगरानी रिपोर्ट के अनुसार, गया जिले की 90 प्रतिशत से अधिक SHGs नियमित बैठकें कर रही हैं। इन बैठकों का स्वरूप केवल औपचारिक नहीं होता, बल्कि यह महिलाओं को संवाद की स्वतंत्रता और सामूहिक निर्णय में भाग लेने का व्यावहारिक प्रशिक्षण देता है। इन बैठकों में महिलाएं अपने पारिवारिक अनुभव, सामाजिक समस्याएं, और सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा करती हैं। IDF द्वारा किए गए एक फील्ड अध्ययन (2022) में पाया गया कि 78 प्रतिशत महिलाओं ने SHG की बैठकों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से बोलने की आदत विकसित की, जबकि 64 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि SHG ही पहला मंच था जहाँ उन्होंने अपनी बात खुलकर रखी। इन बैठकों में सहमति या बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, और प्रत्येक निर्णय को बैठक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, जिससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बना रहता है।

SHGs का मूल कार्यक्षेत्र सामूहिक बचत और आंतरिक ऋण वितरण होता है। प्रत्येक महिला सदस्य एक निश्चित राशि प्रतिमाह बचत के रूप में जमा करती है, जिससे एक सामूहिक कोष तैयार होता है। इस

कोष का उपयोग आवश्यकतानुसार समूह की किसी सदस्य को ऋण देने में किया जाता है। इस प्रक्रिया से महिलाएं न केवल आर्थिक अनुशासन सीखती हैं, बल्कि अपनी तत्काल आवश्यकताओं—जैसे बच्चों की शिक्षा, घरेलू खर्च, कृषि कार्य या स्वरोजगार की शुरुआत—को पूरा करने के लिए साहूकारों पर निर्भर नहीं रहतीं। BRLPS की वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 के अनुसार, गया जिले की महिला SHGs ने लगभग ₹235 करोड़ की बचत की और ₹400 करोड़ से अधिक का आंतरिक ऋण वितरण किया। ये आँकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि SHGs केवल लघु ऋण संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि महिलाओं की वित्तीय आज़ादी की आधारशिला बन चुकी हैं। एक फील्ड सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि SHG से ऋण लेने वाली 71 प्रतिशत महिलाओं ने इसे कृषि, पशुपालन या छोटे व्यवसायों में निवेश किया, जिससे परिवार की आय में स्थायित्व आया।

SHGs की बैठकों और गतिविधियों ने महिलाओं में सामाजिक जागरूकता को भी तीव्र किया है। वे अब पारंपरिक सामाजिक विषयों के अतिरिक्त गाँव की समस्याओं, सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और ग्राम सभा की प्रक्रियाओं में रुचि लेने लगी हैं। BRLPS के सामाजिक विकास प्रकोष्ठ (Social Development Cell) द्वारा 2022 में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, गया जिले की 4,512 SHGs ने किसी न किसी सामाजिक मुद्दे पर ग्राम पंचायत, प्रखंड कार्यालय या अन्य प्रशासनिक संस्थाओं से संवाद स्थापित किया। इनमें से 38 प्रतिशत मुद्दे ऐसे थे जो सीधे तौर पर ग्राम सभा की कार्यप्रणाली, पंचायत में पारदर्शिता, या सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े थे। महिलाओं ने सामूहिक रूप से मनरेगा में भुगतान की गड़बड़ियों की शिकायत की, राशन वितरण में अनियमितता पर आवाज़ उठाई, और विद्यालयों में शिक्षक अनुपस्थिति की जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाई। इस प्रकार SHGs महिलाओं को केवल जागरूक नहीं बना रही हैं, बल्कि उन्हें सक्रिय नागरिक के रूप में तैयार कर रही हैं, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं से संवाद कर सकती हैं।

राजनीतिक दृष्टि से SHGs अब एक अभ्यासशाला बन चुके हैं जहाँ महिलाएं नेतृत्व करना, बात रखना, बहस करना और निर्णय लेना सीखती हैं। गया जिले में यह देखा गया है कि SHGs की सदस्याएं पंचायत चुनावों में उम्मीदवार के रूप में भाग ले रही हैं और स्थानीय समितियों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। Gaya SHG Leadership Tracking Survey (2021) के अनुसार, SHG से जुड़ी लगभग 12 प्रतिशत महिलाओं ने पंचायत चुनाव में नामांकन किया, जिनमें से कुछ ने जीत भी दर्ज की। वहीं 36 प्रतिशत सदस्याएं ग्राम सभा में नियमित उपस्थिति देने लगी हैं, और 17 प्रतिशत महिलाएं विद्यालय प्रबंधन समिति, स्वास्थ्य समिति या जल समिति जैसे स्थानीय निकायों की सदस्य बन चुकी हैं। यह बदलाव केवल संख्या का नहीं, बल्कि मानसिकता और सामाजिक मान्यता का है, जहाँ एक ग्रामीण महिला अब चुपचाप बैठने वाली भूमिका से आगे बढ़कर नेतृत्वकारी भूमिका में आ रही है।

इन समस्त प्रक्रियाओं को सुचारु और सशक्त बनाने हेतु गया जिले में JEEViKA, PRADAN और DAY-NRLM जैसे संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करते हैं। इन प्रशिक्षणों में महिलाओं को लेखा-जोखा रखने की पद्धति, बैंकिंग कार्य, सरकारी योजनाओं की जानकारी, सामाजिक उत्तरदायित्व, और नेतृत्व कौशल जैसे विषयों पर प्रशिक्षित किया जाता है। BRLPS के अनुसार, वर्ष 2022–23 में गया जिले में 7,200 से अधिक SHG सदस्यों को नेतृत्व और संस्था प्रबंधन का औपचारिक प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण न केवल समूह की दक्षता बढ़ाता है, बल्कि महिला सदस्यों को पंचायत और प्रशासनिक संवाद में सक्षम बनाता है।

5. महिला समूहों का राजनीतिक प्रभाव

गया जिले में महिला स्व-सहायता समूह (SHGs) आज केवल वित्तीय सशक्तिकरण का माध्यम नहीं हैं, बल्कि उन्होंने ग्रामीण राजनीतिक संरचना में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और हस्तक्षेप की प्रक्रिया को भी मजबूती दी है। राजनीति, जो अब तक पुरुष प्रधान रही है, उसमें महिलाओं की प्रभावशाली उपस्थिति और आवाज़ का उभरना ग्रामीण लोकतंत्र के लिए एक बड़ा परिवर्तन है। यह परिवर्तन केवल कानून में आरक्षण के माध्यम से नहीं आया, बल्कि जमीनी स्तर पर SHGs के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने की योजनाओं, समूह-आधारित नेतृत्व प्रशिक्षण, और सामाजिक चेतना अभियान का परिणाम है। गया जिले की पंचायत स्तरीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी 73वें संविधान संशोधन के बाद निश्चित रूप से बढ़ी है, लेकिन पहले यह भागीदारी अधिकतर औपचारिक या 'प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व' के रूप में देखी जाती थी, जिसमें निर्वाचित महिला के स्थान पर उसके पति या पुरुष परिजन सत्ता का संचालन करते थे। परंतु SHGs के माध्यम से संगठित हुई महिलाओं ने इस स्थिति को चुनौती देना शुरू किया है। जीविका परियोजना द्वारा संचालित महिला समूहों ने ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, स्कूल शिक्षा समिति, आंगनबाड़ी निगरानी समिति, तथा स्वास्थ्य उपकेंद्र प्रबंधन समिति जैसी संस्थाओं में सक्रिय सहभागिता से यह दर्शाया है कि महिलाएं अब प्रशासन और शासन की संवाद प्रक्रियाओं में केवल उपस्थित नहीं रहतीं, बल्कि प्रभावी भूमिका निभा रही हैं।

महिला SHG सदस्याओं द्वारा राजनीतिक नेतृत्व की दिशा में पहला बड़ा कदम ग्राम सभा की प्रक्रिया में भागीदारी होता है। ग्राम सभा ग्रामीण लोकतंत्र की सबसे बुनियादी इकाई है, लेकिन गया जिले के अधिकांश गाँवों में पहले महिलाओं की उपस्थिति केवल औपचारिक होती थी। SHGs के नियमित संवाद, जागरूकता सत्र और समूह प्रतिनिधियों द्वारा पंचायत के मुद्दों पर चर्चा से महिलाओं में स्थानीय शासन की समझ विकसित हुई है। BRLPS के 2022 के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि SHG से जुड़ी 43 प्रतिशत महिलाएं अब नियमित रूप से ग्राम सभा में भाग लेती हैं और उनमें से 61 प्रतिशत ने कभी-न-कभी किसी मुद्दे पर अपनी राय रखी है जैसे कि विद्यालय में शौचालय निर्माण, राशन वितरण की गड़बड़ी, सड़क मरम्मत, या मनरेगा में कार्य आवंटन। यह भागीदारी केवल प्रशासन को उत्तरदायी बनाती है, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बनती है।

SHGs ने गया जिले में राजनीतिक चुनावों में भी महिलाओं की भागीदारी को नया आयाम दिया है। 2016 और 2021 के पंचायत चुनावों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि SHG से जुड़ी महिला सदस्याओं में से अनेक ने या तो स्वयं चुनाव लड़ा या अन्य महिला प्रत्याशियों के प्रचार में सक्रिय भागीदारी की। जीविका से संबद्ध 'लैंगिक सशक्तिकरण प्रकोष्ठ' के अनुसार, गया जिले में 2021 के पंचायत चुनावों में कुल महिला उम्मीदवारों में से 18 प्रतिशत महिलाएं SHG की सक्रिय सदस्य थीं। इन महिलाओं को SHG नेटवर्क से प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग, जनसंपर्क कौशल और रणनीतिक योजना का समर्थन मिला। इनमें से कई प्रत्याशियों ने चुनाव जीता और सक्रिय प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। उदाहरणस्वरूप, बेलागंज और बाराचट्टी प्रखंडों में दो महिला मुखियाओं ने बताया कि उनके चुनाव प्रचार और योजना समझने में SHG नेटवर्क ने अहम भूमिका निभाई। इससे स्पष्ट होता है कि SHGs अब केवल आर्थिक एकता नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्ति का स्रोत भी बन चुके हैं।

महिला समूहों की राजनीतिक चेतना केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अधिकारों की समझ, नीतियों की निगरानी, और सरकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन तक फैली हुई है।

गया जिले में कई SHG समूहों ने एकजुट होकर विभिन्न मुद्दों पर प्रशासन से सामूहिक संवाद किया है जैसे कि शौचालय निर्माण योजना में भ्रष्टाचार, विद्यालयों में शिक्षक की अनुपस्थिति, स्वास्थ्य उपकेंद्रों में दवाइयों की कमी, या सड़क निर्माण में निम्न गुणवत्ता। यह हस्तक्षेप पहले संभव नहीं होता था क्योंकि व्यक्तिगत महिला को इतनी जानकारी, साहस या समर्थन नहीं होता था। परंतु SHG के सामूहिक स्वरूप ने महिलाओं को यह आत्मबल प्रदान किया है कि वे अपनी सामुदायिक समस्याओं पर खुलकर बात कर सकें और उत्तरदायित्व की मांग कर सकें।

SHG से जुड़ी महिलाएं अब जिला स्तरीय मंचों पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। जीविका महिला सम्मेलन, बाल विवाह विरोधी अभियान, पोषण माह, और सतत विकास लक्ष्यों (SDG) से जुड़ी कार्यशालाओं में SHG नेतृत्वकर्ताओं की भागीदारी यह दर्शाती है कि उनकी भूमिका केवल स्थानीय नहीं, बल्कि नीतिगत संवाद का हिस्सा बन चुकी है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाएं अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाती हैं और स्वयं को एक नागरिक के रूप में न केवल प्रतिनिधित्व करती हैं, बल्कि जिम्मेदारी भी निभाती हैं। इसके अतिरिक्त, महिला समूहों ने अन्य महिलाओं को भी राजनीति के प्रति जागरूक और प्रेरित किया है। SHGs में समूह नेतृत्व का अनुभव प्राप्त करने वाली कई महिलाएं बाद में राजनीतिक दलों की महिला इकाइयों से जुड़ीं, या ब्लॉक स्तर की समितियों की सदस्य बनीं। SHG नेटवर्क, एक प्रकार से, महिला नेतृत्व की "शिक्षा प्रयोगशाला" के रूप में काम कर रहा है, जहाँ अनुभव, चर्चा, सहयोग और सामूहिकता की भावना राजनीतिक चेतना को जन्म देती है।

6. चुनौतियाँ और अवसर

महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व में वृद्धि निश्चित रूप से एक प्रगतिशील संकेत है, लेकिन इस प्रक्रिया में कई गहरी और बहुस्तरीय चुनौतियाँ भी समाहित हैं। सामाजिक संरचना, लैंगिक भेदभाव, संसाधनों की कमी, और पारिवारिक नियंत्रण जैसी समस्याएं इस प्रक्रिया को जटिल बनाती हैं। हालांकि, इन चुनौतियों के समानांतर कई संभावनाएं भी उभर रही हैं, जो यदि संस्थागत समर्थन और सतत प्रशिक्षण से जुड़ें, तो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को एक नए आयाम तक पहुँचा सकती हैं।

सबसे पहली चुनौती सामाजिक-सांस्कृतिक मानसिकता से संबंधित है, जो अब भी ग्रामीण समाज में गहराई से जमी हुई है। गया जिले के कई गांवों में अब भी यह धारणा प्रबल है कि राजनीति पुरुषों का कार्यक्षेत्र है, और महिलाएं केवल घरेलू कार्यों या सीमित सामुदायिक भूमिकाओं तक ही उपयुक्त हैं। इस सोच के चलते महिला प्रतिनिधियों को सार्वजनिक मंचों पर बोलने, निर्णय लेने या अधिकारियों से संवाद करने में झिझक महसूस होती है। SHGs में सक्रिय भूमिका निभाने के बावजूद जब महिलाएं पंचायत चुनाव लड़ती हैं, तो अक्सर उन्हें 'प्रॉक्सी' के रूप में देखा जाता है, जहाँ वास्तविक सत्ता उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य संचालित करते हैं। इस प्रवृत्ति को तोड़ना एक गहन मानसिक और व्यवहारिक संघर्ष की मांग करता है। दूसरी बड़ी चुनौती प्रशिक्षण और जानकारी की असमानता से जुड़ी है। गया जिले में जीविका जैसे संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इनकी पहुँच अब भी सीमित है। बहुत सी महिलाएं जो SHG का नेतृत्व कर रही हैं, उन्हें पंचायती राज अधिनियम, ग्राम सभा की शक्तियों, बजट प्रक्रिया या सरकारी योजनाओं की निगरानी के विषय में संपूर्ण जानकारी नहीं होती। इससे वे प्रभावी हस्तक्षेप नहीं कर पातीं और प्रशासनिक संवाद में उनकी आवाज़ कमजोर पड़ जाती है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल साक्षरता की कमी भी सूचना-साझाकरण की प्रक्रिया को बाधित करती है, खासकर तब जब प्रशासन

की कई सेवाएं अब ऑनलाइन माध्यमों से संचालित हो रही हैं। तीसरी चुनौती संसाधनों की असमान उपलब्धता और संरचनात्मक बाधाओं से उत्पन्न होती है। SHGs की सदस्याएं, विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाली महिलाएं, आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से होती हैं। चुनावी राजनीति में भाग लेने के लिए प्रचार, दस्तावेजी प्रक्रिया, परिवहन, और समय कुछ लागतपूर्ण होते हैं। कई बार महिलाएं इन बाधाओं के कारण चुनाव में भाग लेने से वंचित रह जाती हैं। साथ ही, यदि वे निर्वाचित भी हो जाएं तो पंचायत स्तर पर सचिव, बीडीओ और अन्य पुरुष प्रभुत्व वाले पदों से संवाद स्थापित करना आसान नहीं होता, विशेषकर तब जब सामाजिक पृष्ठभूमि भिन्न होती है।

हालांकि इन चुनौतियों के बीच अवसरों की एक नई श्रृंखला भी उभर रही है। SHGs की संख्या, कार्यक्षमता और सामाजिक स्वीकृति में सतत वृद्धि ने महिलाओं के सामूहिक आत्मबल को मजबूत किया है। समूहों के माध्यम से महिलाएं अब न केवल निर्णय प्रक्रिया में शामिल होती हैं, बल्कि वे अपने अनुभवों को साझा कर एक-दूसरे को प्रेरणा और रणनीतिक सहयोग भी देती हैं। पंचायत चुनावों में SHG नेटवर्क ने अब 'समूह आधारित उम्मीदवार' खड़ा करना शुरू किया है, जहाँ पूरा समूह एक महिला को चुनाव के लिए तैयार करता है, उसे प्रचार, रणनीति और सामाजिक समर्थन प्रदान करता है। इससे राजनीति में अकेली महिला की जगह सामूहिक नेतृत्व का उदय हो रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों में भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। जैसे कि 'महिला नेतृत्व सशक्तिकरण कार्यक्रम', 'जन संवाद अभियान', और 'लोक शिकायत समाधान शिविरों' में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यदि SHGs को इन योजनाओं से जोड़कर अधिकतम किया जाए, तो महिलाएं केवल प्रतिनिधि नहीं, बल्कि नीति-निर्माण की प्रक्रियाओं में भी प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं। डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में भी अवसर बढ़े हैं। मोबाइल ऐप्स, पंचायत पोर्टल्स, और डिजिटल सर्वे टूल्स के माध्यम से महिलाएं जानकारी प्राप्त करने, शिकायत दर्ज करने, और सरकारी योजनाओं की निगरानी जैसे कार्यों में भाग लेने लगी हैं। यदि SHG स्तर पर डिजिटल प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाया जाए, तो महिलाएं सशक्त रूप से ई-गवर्नेंस से जुड़ सकती हैं।

7. निष्कर्ष

महिला स्व-सहायता समूहों (SHGs) की भूमिका केवल वित्तीय समावेशन तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। SHGs के माध्यम से महिलाएं अब उस सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं, जो पहले पुरुष वर्चस्व से नियंत्रित होता था। इस परिवर्तन का आधार केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, बल्कि समूह आधारित संरचना, सामूहिक संवाद, स्थानीय प्रशिक्षण और सामाजिक चेतना की निरंतर प्रक्रिया है, जिसने महिलाओं को न केवल अपनी बात कहने की शक्ति दी, बल्कि नेतृत्व करने की दिशा में भी मार्ग प्रशस्त किया।

SHGs की नियमित बैठकें, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया और सामूहिक उत्तरदायित्व की संस्कृति ने महिलाओं को एक ऐसा मंच प्रदान किया है, जहाँ वे अपनी सामाजिक समस्याओं पर खुलकर विचार रखती हैं। गया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पहले महिलाएं ग्राम सभा में केवल मौन उपस्थित रहती थीं, अब वे योजनाओं, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाओं, और मनरेगा जैसे मुद्दों पर स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यह स्पष्ट करता है कि SHGs ने महिलाओं में न केवल संवाद की क्षमता विकसित की, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी की चेतना भी उत्पन्न की। इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है

कि SHG सदस्य महिलाएं अब चुनावी राजनीति में भी प्रवेश कर रही हैं। पंचायत चुनावों में SHG नेटवर्क की मदद से प्रत्याशी बनने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, और वे अपने समूहों के सामूहिक समर्थन से चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय हो रही हैं। इससे यह परिलक्षित होता है कि SHGs एक प्रकार की 'राजनीतिक नर्सरी' बन गए हैं, जहाँ महिलाओं को नेतृत्व, संगठन और नीति संवाद का व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलता है। यह परिघटना ग्रामीण लोकतंत्र की समावेशी प्रकृति को और मजबूत करती है।

हालाँकि, इस प्रक्रिया में कई चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। सामाजिक मानसिकता, प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की प्रवृत्ति, सीमित प्रशिक्षण, और संरचनात्मक संसाधनों की कमी महिलाओं की भागीदारी को सीमित करती है। परंतु SHGs की संरचना में ही वह शक्ति है जो इन बाधाओं को धीरे-धीरे तोड़ सकती है। जब महिलाएं अपने समूहों के माध्यम से सशक्त होती हैं, तब वे व्यक्तिगत स्तर पर असुरक्षा से मुक्त होकर सामूहिक स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप करने में सक्षम होती हैं। SHGs ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि ग्रामीण महिलाओं को एक सुरक्षित, सामूहिक, और समावेशी मंच दिया जाए, तो वे न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकती हैं, बल्कि पूरे ग्रामीण समाज में प्रशासनिक जवाबदेही, पारदर्शिता और न्यायपूर्ण विकास की नींव भी रख सकती हैं। गया जिले में SHGs के माध्यम से उभरता हुआ यह नया नेतृत्व स्थानीय शासन को अधिक जनउत्तरदायी, समावेशी और संवेदनशील बना रहा है।

इस अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि SHGs को अब केवल वित्तीय साधन न मानकर एक सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन के औजार के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि इन समूहों को संस्थागत रूप से और मज़बूत किया जाए, उन्हें अधिक संसाधन, प्रशिक्षण और नीति-संवाद में अवसर मिले, तो वे भविष्य में न केवल महिला सशक्तिकरण के प्रतीक बनेंगे, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को भी और गहरा और व्यापक बनाएंगे। गया जैसे जिलों में यह परिवर्तन सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और लोकतांत्रिक समावेशिता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध हो सकता है।

8. सुझाव

गया जिले में महिला स्व-सहायता समूहों (SHGs) की गतिविधियाँ महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण में उल्लेखनीय भूमिका निभा रही हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को अधिक व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं:

क. **SHGs के लिए राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम**: महिला समूहों की सदस्याओं के लिए नियमित रूप से पंचायती राज, ग्राम सभा की भूमिका, बजट प्रक्रिया और सरकारी योजनाओं की जानकारी पर आधारित प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए। इससे महिलाओं की राजनीतिक समझ और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी।

ख. **डिजिटल साक्षरता और सूचना तक पहुँच**: महिलाओं को मोबाइल फोन, सरकारी वेबसाइट्स और पंचायत पोर्टल्स के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें और डिजिटल शिकायत प्रणाली में सक्रिय हो सकें।

ग. **प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व पर निगरानी**: निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति या पुरुष परिजनों द्वारा सत्ता संचालन की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए ग्राम सभा और ब्लॉक स्तर पर सामाजिक निगरानी समितियाँ बनाई जानी चाहिए।

घ. **राजनीतिक भागीदारी के लिए आर्थिक सहयोग**: पंचायत चुनाव लड़ने की इच्छुक SHG सदस्य महिलाओं को सरकारी या संस्थागत स्तर पर वित्तीय सहायता या चुनाव अभियान से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर होकर चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकें।

ङ. **SHGs को पंचायत स्तर की स्थायी समिति में प्रतिनिधित्व**: महिला SHG समूहों को पंचायत की योजनाओं और निर्णय प्रक्रिया से जोड़ने के लिए उन्हें ग्राम विकास समिति, शिक्षा समिति, और स्वास्थ्य समिति में स्थायी सदस्य के रूप में जोड़ा जाना चाहिए।

च. **सामाजिक स्तर पर जागरूकता अभियान**: गाँवों में महिला नेतृत्व और राजनीतिक भागीदारी की स्वीकार्यता बढ़ाने हेतु दीवार लेखन, नाटक, वीडियो, और ग्राम सभा के माध्यम से व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए।

छ. **उदाहरणात्मक नेतृत्व को बढ़ावा देना**: सफल महिला मुखिया या पंचायत सदस्याओं के अनुभव साझा करने के लिए जिला स्तर पर 'महिला नेतृत्व सम्मेलन' आयोजित किया जाए, जिससे अन्य महिलाएं प्रेरित होकर राजनीति में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित हों।

ज. **SHG नेटवर्क के माध्यम से सामूहिक प्रत्याशिता को बढ़ावा**: SHG समूह सामूहिक रूप से योग्य महिला उम्मीदवार को चिन्हित कर पंचायत चुनावों में समर्थन दें और उसे आवश्यक रणनीतिक सहयोग, संवाद कौशल और प्रचार सहायता उपलब्ध कराएँ।

संदर्भ सूची

1. प्रिल्लामन, सोलेदाद अर्तिज़ (2021)। *संख्या में शक्ति: भारत के राजनीतिक लैंगिक अंतर को समाप्त करने में महिला समूहों की भूमिका*। अमेरिकन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, खंड 66(4), पृष्ठ 950–965।
2. भारत सरकार (2022)। *स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर वार्षिक रिपोर्ट*। ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (BRLPS) (2021)। *गया जिला: जीविका की उपलब्धियाँ और प्रभाव*। जीविका मुख्यालय, पटना।
4. पुटनम, रॉबर्ट (1993)। *लोकतंत्र को कार्यशील बनाना: आधुनिक इटली में नागरिक परंपराएँ*। प्रिंसटन विश्वविद्यालय प्रकाशन।
5. ओल्सन, मैनक्यूर (1965)। *सामूहिक कार्य की तर्कशक्ति: सार्वजनिक वस्तुएँ और समूहों का सिद्धांत*। हार्वर्ड विश्वविद्यालय प्रकाशन।
6. चौधरी, सुमन एवं सिंह, मनीष (2018)। *ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में स्व-सहायता समूहों की भूमिका*। भारतीय राजनीति विज्ञान समीक्षा, खंड 53, अंक 2, पृष्ठ 102–117।
7. बिहार सरकार (2021)। *पंचायत चुनाव 2021 की विस्तृत रिपोर्ट*। पंचायती राज विभाग, पटना।
8. वर्मा, कविता (2020)। *राजनीति में महिलाओं की भागीदारी: एक सामाजिक अध्ययन*। समाज विज्ञान शोध पत्रिका, खंड 45, अंक 3, पृष्ठ 56–68।
9. मिश्रा, प्रियंका (2019)। *महिला नेतृत्व और ग्रामीण लोकतंत्र: बिहार में जीविका की भूमिका*। शोध प्रबंध, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
10. भारत सरकार (2019)। *राष्ट्रीय महिला नीति मसौदा रिपोर्ट*। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।